UPAZ010044792018

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं०-3, आजमगढ़

उपस्थित –अजय श्रीवास्तव,(एच०जे०एस०)

J.O.Code U.P. 2403

Session Trial/100223/2018

उत्तर प्रदेश राज्य --- अभियोजन पक्ष।

बनाम

1. विमलेश यादव उम्र लगभग 28 वर्ष पुत्र रामसकल

2. कमलेश उम्र लगभग 40 वर्ष पुत्र रामसकल

3. कैलाश यादव उम्र लगभग 36 वर्ष पुत्र रामसकल साकिनान पल्हनी धन्नी की सराय, थाना सिधारी, जनपद आजमगढ़। --- अभियुक्तगण।

मु०अ०सं०–328/2017

धारा–307/34, 323/34, 504भा०द०सं०

थाना–सिधारी, जनपद आजमगढ़

राज्य की ओर से– सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी)

वादी की ओर से–सच्चिदानन्द राय एडवोकेट

अभियुक्तगण की ओर से– हरिवंश यादव व रविन्द्र यादव अधिवक्ता

निर्णय

1. अभियुक्तगण विमलेश यादव, कमलेश यादव एवं कैलाश यादव का विचारण थाना सिधारी, जनपद आजमगढ़ द्वारा मु०अ०सं०–328/2017, धारा–307, 323, 504 के अन्तर्गत प्रेषित किये गये आरोप पत्र प्रदर्श क–3 के आधार पर किया गया।

Digitally signed by AJAY SRIVASTAVA
Date: 2026.08.04 17:18:50 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

2. अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी मुकदमा रामकरन यादव पुत्र स्व० बेचू यादव ग्राम पल्हनी (धन्नी सराय), थाना सिधारी, जनपद आजमगढ़ द्वारा इस आशय की तहरीर प्रदर्श क–1 स्थानीय थाने पर प्रस्तुत की गयी कि प्रार्थी अपने पुश्तैनी मकान का निर्माण करवाना प्रारम्भ किया। उसी समय विमलेश पुत्र रामसकल एवं कमलेश पुत्र रामसकल गाली देते हुये लाठी–डण्डे से प्रहार कर दिये और वहां मौजूद रामपत पुत्र स्व० उदय नरायण मिस्त्री, राजेन्द्र पुत्र तिलकधारी मिस्त्री एवं सुनील पुत्र लालपत मजदूर को गंभीर चोट लग गयी। इसके बाद कैलाश व कमलेश पुत्रगण रामसकल गाली देते हुये घर में गये और घर के अंदर से अवैध असलहा लेकर आये, जान से मारने की नियत से तीन फायर किये। प्रार्थी के सिर के ऊपर से गयी और श्रीरामपत बाल–बाल बच गये और भाग निकले।

3. वादी मुकदमा की तहरीर प्रदर्श क–1 के आधार पर थाना सिधारी, आजमगढ़ में दिनांक 03.11.2017 को समय 14.30 बजे, मु०अ०सं०–328/2017 धारा–307, 323, 504 भा०दं०सं० के अपराध में अभियुक्तगण विमलेश, कमलेश एवं कैलाश के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क–6 दर्ज की गयी, जिसकी प्रविष्टि सामान्य डायरी के क्रम सं०–14 प्रदर्श क –5 में उसी समय की गयी। विवेचक द्वारा घटनास्थल का नक्शा नजरी प्रदर्श क– 4 तैयार किया गया। दौरान विवेचना विभिन्न साक्षियों के बयान अंकित किये गये। विवेचक द्वारा विवेचना उपरांत अभियुक्तगण विमलेश यादव, कमलेश एवं कैलाश यादव के विरूद्ध धारा–307, 323, 504 भा०दं०सं० के अपराध में आरोप पत्र प्रदर्श क–3 प्रेषित किया गया, जिस पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, आजमगढ़ द्वारा दिनांक 07.12.2017 को मामले का संज्ञान लिया गया।

4. मामले का संज्ञान लेने के उपरान्त धारा–207 दं०प्र०सं० के अनुपालन में अभियोजन प्रपत्रों की प्रतियाँ अभियुक्तगण को प्रदान की गयीं। मामला सत्र परीक्षणीय होने के आधार पर दिनांक 08.05.2018 को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, आजमगढ़ द्वारा विचारण हेतु सत्र न्यायाधीश को सुपुर्द किया गया, जो सत्र वाद सं०–223/2018 राज्य बनाम विमलेश यादव आदि के रूप में उद्भूत हुआ।

5. तत्कालीन सत्र न्यायाधीश आजमगढ़ द्वारा दिनांक 17.07.2018 को अभियुक्तगण विमलेश यादव, कमलेश एवं कैलाश यादव के विरूद्ध धारा–307/34, 323/34, 504 भा०दं०सं० के अपराध में प्रथम दृष्टया विचारण हेतु मामला पाते हुए आरोप विरचित करके आरोप का सारांश अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्तगण द्वारा जुर्म से

इन्कार करते हुये परीक्षण की माँग किया गया, तो न्यायालय द्वारा अभियोजन साक्ष्य हेतु तिथि नियत की गयी।

6. विभिन्न सोपान से होते हुए विचारण हेतु प्रस्तुत प्रकरण की पत्रावली दिनांक 27.02.2025 को इस न्यायालय को अन्तरित होकर प्राप्त हुई।

7. अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाये गये आरोप को साबित करने हेतु अभियोजन पक्ष द्वारा निम्नलिखित साक्षियों को परीक्षित कराया गया है:-

क्र०सं०	साक्षी क्रमांक	नाम	साक्ष्य की प्रकृति
1	पी०डब्लू०-1	रामकरन यादव	वादी मुकदमा
2	पी०डब्लू०-2	सुनील यादव	तथ्य साक्षी
3	पी०डब्लू०-3	रामपत यादव	तथ्य साक्षी
4	पी०डब्लू०-4	डॉ० ए०के० चौधरी	चिकित्सक साक्षी
5	पी०डब्लू०-5	राजेन्द्र	तथ्य साक्षी
6	पी०डब्लू०-6	शोभनाथ	तथ्य साक्षी
7	पी०डब्लू०-7	घनश्याम यादव	विवेचक -ii
8	पी०डब्लू०-8	रघुराज सरोज	विवेचक-i
9	पी०डब्लू०-9	बालेन्दू भूषण ओझा	औपचारिक साक्षी

8. अभियोजन पक्ष की ओर से प्रलेखीय साक्ष्य के रूप में निम्नलिखित प्रपत्रों को साबित कराया गया है।

क्र०सं०	प्रदर्श क्रमांक	विवरण
1	प्रदर्श क-1/पी०डब्लू०-1	तहरीर
2	प्रदर्श क-2/पी०डब्लू०-4	मजरूब राजेन्द्र की डॉक्टरी रिपोर्ट
3	प्रदर्श क-3/पी०डब्लू०-4	मजरूब रामपत यादव की डॉक्टरी रिपोर्ट

4	प्रदर्श क–3ए/पी०डब्लू०–7	आरोप पत्र
5	प्रदर्श क–4/पी०डब्लू०–8	घटनास्थल का नक्शा नजरी
6	प्रदर्श क–5/पी०डब्लू०–9	कायमी जी०डी०
7	प्रदर्श क–6/पी०डब्लू०–9	चिक एफ.आई.आर.

9. अभियोजन साक्ष्य समाप्त किये जाने के उपरांत अभियुक्तगण का बयान अन्तर्गत धारा–313 द०प्र०सं० अंकित किया गया जिसमें अभियुक्तगण ने साक्षियों के साक्ष्य को गलत बताया, झूठे व गलत तरीके से प्रपत्रों को तैयार किया जाना बताया, मुकदमा रंजिशन गलत चलना बताते हुए सफाई साक्ष्य देने का कथन किया गया। अभियुक्तगण द्वारा स्वयं को निर्दोष बताते हुये जमीनी विवाद में दबाव बनाने हेतु फर्जी डॉक्टरी मुआयना के आधार पर झूठा मुकदमा पंजीकृत कराये जाने का कथन किया गया है।

10. बचाव पक्ष की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में सूची कागज सं०– 88 ख के माध्यम से प्रकीर्ण अपील सं०–223/2000 रामसकल बनाम बेचू यादव में पारित नकल आदेश दिनांकित 14.08.2021 कागज सं०– 89ख/1 लगायत 89ख/3एवं 90ख/1 लगायत 90ख/2 को दाखिल किया गया है।

11. बहस की शुरूआत करते हुए विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा कथन किया गया कि प्रकरण में अभियुक्तगण की अपराध में संलिप्तता स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है। अभियुक्तगण द्वारा एक राय होकर सामान्य आशय से घटना कारित की गयी है जिससे वादी पक्ष के लोगों को और उनके घर पर काम कर रहे मजदूरो को चोटें आई है। उक्त चोटों के बाबत चिकित्सीय साक्ष्य के रूप में परीक्षित डाक्टर द्वारा घटना में आई चोटों को अपने बयान में सिद्ध किया गया है। घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों द्वारा भी घटना को भली–भाँति सिद्ध किया गया है जिसमें कि किसी प्रकार की कोई विसंगति नही है। अपने बचाव में अभियुक्तगण द्वारा दिये गये कथन अभियोजन कथानक को मिथ्या नही बता पाये। इस कारण अभियुक्तगण दोषसिद्ध किये जाने योग्य है।

12. विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता की अनुमति से वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा भी की गयी संक्षिप्त बहस में अभियोजन कथानक का समर्थन किया गया है तथा यह कहा

गया है कि न केवल अभियुक्तगण द्वारा एक राय होकर घटना कारित की गयी है, ब्लकि लगभग सभी अभियुक्तगण का पुराना आपराधिक इतिहास है। घटना के सभी प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों द्वारा घटनास्थल पर अभियुक्तगण की उपस्थिति को भली–भाँति सिद्ध किया गया। प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के साक्ष्य के क्रम में घटना पूरी तरह से सिद्ध है क्योंकि आपराधिक विधि के अनुसार यदि प्रत्यक्षदर्शी साक्षी का साक्ष्य संदेह से परे हो तो उसे अन्य सभी प्रकार के साक्ष्य के ऊपर वरियता दी जायेगी। अपने कथनो के समर्थन में उनके द्वारा न्यायालय के समक्ष विधि व्यवस्था ***Menoka Malik Versus State of West Bengal AIR 2018 Supreme Court 44011, Sri Chikkegowda vs State of Karnataka Etc 2025 INSC 1213, State of U.P. Vs Hari Chand 2009 AIR SWC 3605*** का हवाला देते हुए कहा गया कि ऊपरवर्णित व्यवस्थों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यदि घटना में प्रत्यक्षदर्शी साक्षी का साक्ष्य संदेह से परे है तो उसे प्रत्येक दशा में वरियता दी जायेगी।

13. इसके विपरीत बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा ऊपरवर्णित बहस का विरोध करते हुए कहा गया है कि अभियोजन कथानक में काफी विसंगितियां है, घटनास्थल और घटना कारित करने का समय स्पष्ट रूप से संदेह से परे सिद्ध नही है। तथ्य के सभी साक्षी हितबद्ध साक्षी है और वादी मुकदमा के जानने वाले है जिन्होनें वादी मुकदमा के कहने पर उसके पक्ष में बयान दिया है। इस कारण तथा साक्षीगण के साक्ष्य में आयी विसंगितियां के कारण अभियुक्तगण को दोषमुक्त किया जाना चाहिए। विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी कहा गया कि प्रकरण में वादी/अभियोजन द्वारा लिखायी गयी एफ०आई०आर पूर्ण नही है और उसमें घटना का सटीक व स्पष्ट वर्णन जैसा कि साक्षीगण द्वारा अपने बयान में कहा गया है कि वर्णित नही है, जिससे की करायी गयी एफ०आई०आर संदेहास्पद हो जाती है। साथ ही इस प्रकरण में किसी प्रकार की फर्द बरामदगी का न होना और घटना कारित करने में प्रयोग किये किसी हथियार आदि का बरामदगी न दिखाये जाने से भी अभियोजन कथानक संदेहास्पद हो जाता है जिसका लाभ अभियुक्तगण को देकर उन्हे दोषमुक्त किया जाना चाहिए।

14. विद्वान अधिवक्ता द्वारा जोर देकर यह भी कहा गया है कि अभियुक्तगण पर लगे आरोप अन्तर्गत धारा–307/34, 323/34, 504 भा०दं०सं० का कोई भी घटक सिद्ध नहीं हो रहा है तथा स्पष्ट रूप से धारा 307/34 भा०दं०सं० का कोई भी अपराध नही बनता है क्योंकि अभियोजन द्वारा किसी भी स्तर पर यह सिद्ध नही किया गया है कि अभियुक्तगण का आशय धारा 307 भा०दं०सं० के अपराध को कारित करने का है। अन्य धाराओं के अपराध

भी युक्तियुक्त संदेह से परे सिद्ध नही है जिसका लाभ अभियुक्तगण को देकर उन्हें दोषमुक्त किया जा सकता है।

15. इस पत्रावली में किसी भी निष्कर्ष पर पहुँचने से पहले न्यायालय को यह देखना है कि किस साक्षी द्वारा क्या बयान दिया गया है।

16. अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी पी०डब्लू०–1 रामकरन यादव ने अपने सशपथ बयान में कहा है कि दिनांक 03.11.2017 को समय 10.30 बजे सुबह अपने पुश्तैनी मकान का पुनः निर्माण करा रहा था। उसी समय विमलेश, कमलेश एवं कैलाश पुत्रगण रामसकल लाठी–डण्डा से लैश होकर आये, उसके मिस्त्री एवं मजदूरों को मारकर लहू–लुहान किये, गाली–गुप्ता दिये। इसके बाद गाली देते हुये कैलाश व कमलेश अपने घर में गये और अवैध असलहा लेकर आये। लक्ष्य बना करके उसके ऊपर जान से मारने की नियत से कैलाश द्वारा तीन फायर किया गया। एक गोली उसके सिर के ऊपर से निकल गयी। वह किसी प्रकार भागकर जान बचाया। दूसरी गोली उसके बगल में खड़े रामपत यादव के कान के ऊपर छीलते हुये निकल गयी। शोर पर गाँव के बहुत–से लोग आ गये। मुल्जिमान गाली–गुप्ता देते हुये भाग गये। इस घटना में राजेन्द्र, राजपत एवं सुनील घायल हुये थे। घटना की रिपोर्ट वह अपने घर पर लिखकर घायलों को लेकर थाने पर पहुंचा। उसकी रिपोर्ट लिखी गयी। पुलिस विभाग द्वारा घायलों का डॉक्टरी मुआयना सरकारी अस्पताल में कराया गया। दरोगा जी ने उसका बयान लिया था तथा उसकी निशानदेही पर घटनास्थल का निरीक्षण किया था। उसने सिधारी थाने पर दिनांक 03.11.2017को अपने हस्तलेख में अपना हस्ताक्षर बनाकर एक दरखास्त घटना के बावत दिया था,जो पत्रावली में शामिल मिसिल कागज सं०– 4क/3 है। साक्षी ने दरखास्त पर अपने हस्तलेख एवं हस्ताक्षर को तस्दीक किया। जिस पर प्रदर्श क–1 डाला गया।

उक्त साक्षी द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया गया है कि मुल्जिमान उसके पट्टीदार नहीं हैं, गाँव के हैं। उसका मुल्जिमान से खेत का मुकदमा चल रहा है। घटना से 20 वर्ष पूर्व से खेत का मुकदमा मुल्जिमान से चल रहा है। उस खेत के मुकदमे की बात को लेकर मुल्जिमान से गाली–गलौज, मारपीट नहीं हुआ। जिस समय मुल्जिमान उसके घर में घुसकर उसके ऊपर फायर किये, उस समय उसके और मुल्जिमान के बीच 15 या 20 फीट की दूरी थी। मुल्जिमान ने कुल 3 फायर किया। जब मुल्जिमान ने ये तीनों फायर किये, उस समय उसके और मुल्जिमान के बीच मिस्त्री व मजदूर थे। मजदूरों की संख्या 8–10 थी। मिस्त्री 3 थे और 7

मजदूर थे। वह, मिस्त्री, मजदूर और मुल्जिमान समतल जमीन पर नहीं थे। वह ऊँचाई पर था और मुल्जिमान नीचे थे। उसके साथ मिस्त्री व मजदूर भी निर्माण वाली ऊंची जगह पर मौजूद थे और नीचे से मुल्जिमान फायर कर रहे थे। उसे चोट लगी। किसी मिस्त्री व मजदूर को चोट नहीं लगी। उसके तीन मिस्त्री में से 2 रिश्तेदार थे। एक रामपत थे, दूसरे सुनील थे और एक लालपत थे, फिर कहा एक मिस्त्री रामबचन थे। घर का निर्माण कार्य घटना के दिन ही शुरु हुआ था। मिस्त्री लोग उसी दिन आये थे। इस निर्माणाधीन मकान का कोई मुकदमा मुल्जिमान से नहीं था। मकान जब घटना के दिन बनना शुरु हुआ, तो शुरु से वह वहीं था। उसके परिवार का अन्य कोई व्यक्ति वहां मौजूद नहीं था। परिवार के सदस्य घटनास्थल से 800 मीटर दूर कालोनी वाले मकान में थे। चोट लगने के बाद अपने परिवार के सदस्यों को नहीं बुलाये। अगल–बगल वाले आये, लेकिन उसके ऊपर जब फायर हो रही थी, तो वे लोग दूर खड़े थे। जो दूर खड़े होकर घटना देख रहे थे, उनके नाम शोभनाथ, जितेन्द्र, रामबचन, संजय आदि थे। घटना के बाद वह अपनी गाड़ी बुलवाया, तहरीर अपने घर पर ही लिखकर घायलों को साथ लेकर थाने पर गया। घटनास्थल से थाने पर पहुंचने में 7 मिनट लगता है। बोलेरे गाड़ी से गया था। दरोगा जी थाने पर नहीं थे, उनको फोन करके बुलाया। फोन करने के बाद 20 से 25 मिनट में आये। घर और थाना मिलाकर दरोगा जी से सवा घण्टा बातचीत हुई। उस बातचीत के बाद दरोगा जी मेडिकल कराने भेजे। उसका मेडिकल नहीं हुआ।... तहरीर उसने लिखी थी। उस तहरीर में उसने लिख दिया था कि गोली उसके बगल में खड़े रामपत यादव के कान के ऊपर से छीलते हुये निकल गयी। साक्षी को तहरीर पढ़कर सुनाई गयी तो साक्षी ने कहा कि तहरीर में उक्त बात नहीं लिखी गयी है, तो इसका कारण वह नहीं बता सकता कि तहरीर में क्यों नहीं है। उसका बयान दरोगा ने 04.11.2017 को उसके घर के सामने लिया था। उसने दरोगा को यह बयान दिया था कि गोली उसके बगल में खड़े रामपत यादव के कान के ऊपर छीलते हुये निकल गयी, यदि दरोगा जी ने उसके बयान में उक्त बात नहीं लिखी, तो न लिखे जाने का कारण वह नहीं बता सकता। घर के अंदर वह जगह जहां फायरिंग के समय वह खड़ा था, जहां मजदूर और मिस्त्री खड़े थे और जहाँ मुल्जिमान खड़े थे, दरोगा जी को दिखा दिया था। यदि स्थल मानचित्र में दरोगा जी न दर्शाये हो तो कारण नहीं बता सकता। रामपत, राजेन्द्र और सुनील चोट लगने के कारण जमीन पर गिर गये थे। वह नहीं देखे कि राजेन्द्र जहां जमीन पर गिरे थे, उनका खून गिरा था या नहीं। राजेन्द्र की चोटों से खून बहते देखा था। राजेन्द्र की चोटों से बहा खून उनके कपड़ों पर लगा था और जो उन्हें उठाए उनके

कपड़ों पर लगा होगा। जितेन्द्र, सुनील, संजय मिलकर राजेन्द्र को उठाए थे। सुनील को जाहिरा चोट नहीं थी, इसलिये उनका डॉक्टरी मुआयना नहीं हुआ। सुनील के शरीर पर लाठी की चोट की शाट पड़ी थी। सुनील के पेट एवं पीठ पर चोटें रेखांकित हो रही थीं, फिर कहा अन्दरूनी थी। रेखांकित चोटों के ऊपर कालिमा नहीं थी। यह कहना गलत है कि अभियुक्तगण से खेत के मुकदमे की रंजिश के कारण उसने अपने रिश्तेदारों के शरीर पर फर्जी चोटें निर्मित कराकर झूठा डॉक्टरी मुआयना बनवाकर पुलिस को मिलाकर झूठा मुकदमा दीवानी के मुकदमे पर दबाव बनाने की गरज से दर्ज कराया। यह भी कहना गलत है कि वह जान–बूझकर झूठी गवाही दिया है। यह भी कहना गलत है कि जैसे उसने कहा, वैसी कोई घटना घटित नहीं हुई है।

17. अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी पी०डब्लू०–2 सुनील यादव ने अपने सशपथ बयान में कहा है कि घटना दिनांक03.11.2017 की है। वह उस दिन रामकरन यादव के घर मजदूरी का काम करने गया था। रामकरन यादव के मकान की चहारदीवारी बन रही थी। कई मिस्त्री मजदूरों के साथ वह भी काम कर रहा था। सुबह 10.30 बजे का समय था। उसी समय विमलेश, कमलेश और कैलाश पुत्रगण रामसकल लाठी–डण्डा से लैस एकराय होकर रामकरन से झगड़ा करने लगे और कहने लगे कि यहाँ मकान मत बनवाओ, यह उनकी जमीन है। रामकरन ने कहा कि यह उसका पुराना मकान था जो गिर गया है उस पर वह अपना मकान बनवायेंगे। इसी बात पर नाराज होकर गुस्से में विमलेश, कमलेश और कैलाश रामकरन को मारने लगे। मिस्त्री, मजदूर रामकरन को बचाने के लिए दौड़े तो उपरोक्त मुल्जिमान उन लोगों पर टूट पड़े और गम्भीर रूप से घायल कर दिये, तभी कमलेश और कैलाश दौड़कर अपने घर में गये और कट्टा लेकर आये और गाली गुप्ता देते हुए रामकरन को दौड़ा लिये और जान मारने की नीयत से फायर किये। गोली रामकरन के सिर के ऊपर से निकल गयी। उसके बाद भी कैलाश ने दोबारा 02फायर किया। एक गोली रामपत के बाँए कान के ऊपर से छीलते हुए निकल गयी। गिरते हुए रामकरन घर में भाग गये। शोर पर बहुत सारे लोग आ गये। मुल्जिमान गाली गुप्ता देते हुए भाग गये। 100 नं० पुलिस को डायल किया गया। विमलेश ने उसे दाँत से हाथ में काट लिया था। पुलिस आयी और इस घटना में घायल राजेन्द्र, रामपत तथा उसे व रामकरन को लेकर थाने गयी। फिर वहाँ से डॉक्टरी के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पल्हनी ले गयी, जहाँ उनका डॉक्टरी मुआयना एवं इलाज हुआ।

उक्त साक्षी द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया गया है कि उसका घर रोशनगंज गाँव में है। घटनास्थल से उसका गाँव लगभग 40किलोमीटर दूर है। वह अपने गाँव से अकेले ही आया था। घटनास्थल पर वह सुबह के 10बजे पहुंचा था। वह 30 मिनट तक घटनास्थल पर रहा। फिर वह रामकरन को लेकर थाने गया। घटना वह खुद देखा था, रामकरन से घटना के बारे में उसने नहीं पूछा। उन्होंने स्वतः भी घटना के बारे में कुछ नहीं बताया। मौके पर पुलिस आयी और पुलिस सबको साथ लेकर गयी। 100 नंबर पुलिस आयी थी। 100 नंबर वाली पुलिस की गाड़ी में बैठकर थाने गये। उसके साथ ही रामकरन दूसरी गाड़ी से थाने गये थे। थाने पर आधे घन्टे रहने के बाद दरोगा जी ने कहा कि जाओ दरखास्त लिखकर ले आओ। तब वह बाजार गया और कागज लिया और दरखास्त लिखकर थाने ले गये। दरखास्त एक दुकान पर बाजार में बैठकर रामकरन ने लिखा। दरखास्त उसने नहीं, रामकरन ने लिखा था। थाने के बगल में दो–चार दुकानें, उन्हीं दुकान पर बैठकर दरखास्त लिखी गयी थी। करीब आधे घन्टे में दरखास्त लिखी गयी थी, फिर ले जाकर थाने में दिये और फिर घर चले गये। मिस्त्री रामपत यादव व राजेन्द्र थे और एक वह मजदूर था। रामपत बैदरा के रहने वाले है। बैदरा उसके गाँव से थोड़ी दूर है। रामकरन के घर से बैदरा गाँव भी लगभग 35 किलोमीटर दूर है। राजेन्द्र गुड़ियाना के रहने वाले हैं। गुड़ियाना भी उसके घर से 3–4किलोमीटर की दूरी पर है और रामकरन के गाँव से लगभग 40 किलोमीटर है। उसके अलावा और कोई मजदूर नहीं था। उससे 10 मीटर की दूरी से फायर हो रहा था। वह पूरब मुंह खड़ा था। पूरब से ही पश्चिम की दिशा में ही फायर हो रहा था। जहाँ फायर हो रहा था वहां से वह पश्चिम था। राजेन्द्र व रामपत उससे 6–7 कदम उसके आगे थे। उन्हीं के पीछे थोड़ा बगल में वह खड़ा था। कुल मिलाकर 03 फायर हुआ। उसे फायर की चोट नहीं लगी। उसे दाँत से काटने की चोट हाथ में लगी थी जिसकी दाग पड़ी थी। वहाँ मुलजिम दो थे और उनमें से एक ने उसे दाँत से काट लिया था। बाँए हाथ में उसे दाँत से काटा था। वहाँ दो मुलजिम कमलेश और विमलेश थे। विमलेश ने उसे दाँत से काटा था। उसके अलावा और किसी को दाँत से काटने की चोट नहीं आयी थी। जहाँ रपट वाली दरखास्त तैयार हुयी वहाँ पर वह भी था। उसने रामकरन से यह बताया था, दाँत से काटने वाली बात रिपोर्ट में लिख लीजिये। उन्होनें रिपोर्ट में दाँत से काटने वाली बात लिखी थी। दरोगा जी को उसने 02सप्ताह बाद बयान दिया था। उसने दरोगा जी को अपने बयान में यह बात बतायी थी कि विमलेश ने उसे दाँत से काट लिया था जिससे उसके बाँए हाथ में चोट आयी थी। उसके बयान में दरोगा जी ने यदि विमलेश द्वारा उसे दाँत से काटने की बात न

लिखी हो, तो इसका कारण वह नहीं बता सकता। दरोगा जी ने उसके बयान में यह बात सही लिखा है कि कमलेश यादव व उनके घर की औरतें भी लाठी–डण्डा लेकर आयीं और ये लोग मिलकर हम मजदूरों को मारकर घायल कर दिये। कमलेश के घर की औरतें जो लाठी–डण्डा से मारकर चोटे पहुंचायीं उनकी कुल संख्या वह नहीं बता सकता। दरोगा जी ने अगर कई मजदूरों को मारपीट कर घायल करने की बात लिखा है तो वह उसे गलत या सही नहीं कह सकता। इस पूरे मामले में अपने बयान में आज ऊपर जिस तरह से 03 फायर होने की बात बताया हूँ। उसी तरह से केवल 03 फायर हुआ। इसके अलावा कोई अन्य फायर नहीं हुआ। पहला फायर हुआ तो वह हट गया जिससे वह बच गया। दूसरे फायर के समय थोड़ी और दूरी पर हट गया। तीसरे फायर के समय वह वहीं पर था। उसने विवेचना अधिकारी को यह बात बतायी थी कि रामपत को कान के ऊपर गोली लग गयी थी और छीलते हुए निकल गयी थी। इतना याद नहीं है कि रामपत को जहाँ कान के ऊपर गोली लगी थी बाल था कि नहीं। यह याद नहीं है कि बाल झुलसा था या नहीं लेकिन खून निकल रहा था। उसने रामपत को उठाया। रामपत जहाँ जमीन पर गिरे थे वहाँ खून नहीं गिरा था। उसके कपड़े पर रामपत के शरीर से बहा हुआ खून नहीं लगा। यह कहना सही है कि वह और रामपत रामकरन के रिश्तेदार है। यह कहना गलत है कि राजेन्द्र मेरे रिश्तेदार हैं। यह कहना गलत है कि जैसी घटना उसने बतायी, वैसी कोई घटना नहीं घटित हुयी। यह भी कहना गलत है कि रामकरन का रिश्तेदार होने के कारण उसने उनकी तरफ से झूठी गवाही दी थी।

18. अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी पी०डब्लू०–3 रामपति यादव ने सशपथ बयान किया है कि घटना दिनांक 03.11.2017को समय सुबह 10.30 बजे रामकरन यादव पुत्र स्व० बेचू साकिन पल्हनी, थाना सिधारी, जनपद आजमगढ़ के धन्नी सराय स्थित पुश्तैनी मकान पर घटित हुयी थी। वह पेशे से राजगीर है और उस दिन रामकरन के धन्नी सराय स्थित उक्त पुश्तैनी मकान जो खण्डहर हो गया था, को सही करने और टूट–फूट का निर्माण करने गया था और घटना के समय मजदूरों के साथ ईंट को जोड़ रहे थे। उन मजदूरों का नाम राजेन्द्र मिस्त्री, लेबर सुनील व अन्य 4–5 थे, जिनका नाम उसे याद नहीं है। उसी समय लगभग 10.30 बजे रामकरन के पड़ोसी विमलेश यादव, कैलाश यादव व कमलेश यादव पुत्रगण रामसकल लाठी–डण्डा से लैस होकर आये और माँ–बहन की भद्दी–भद्दी गालियां देते हुए काम को बंद करने के लिए कहे, काम बंद नहीं हुआ, तो सभी लोग मिलकर एक राय होकर उसको, सुनील यादव,

राजेन्द्र और अन्य मजदूरों को मार–पीटकर बुरी तरह से घायल कर दिये। मुल्जिमान के द्वारा मारने– पीटने से उसे गम्भीर चोट आयी थी। उसी समय कैलाश यादव दौड़कर अपने घर गया और अपने घर से कट्टे के साथ लैश होकर आया और रामकरन को मारने के लिए दौड़ाकर, जान से मारने की नीयत से रामकरन पर फायर किया, लेकिन रामकरन बचकर निकल गये। कैलाश ने उस पर और मजदूरों पर भी 03 फायर कट्टे से किया था। उसके द्वारा किये गये दूसरे फायर से निकली गोली उसके बाँए कंधे के ऊपर कनपटी को छूते हुये निकल गयी थी। अभियुक्तगण द्वारा किये गये जानलेवा हमले से अफरा–तफरी मच गयी थी। रामकरन द्वारा पुलिस को दी गयी सूचना पर थाना सिधारी से पुलिस वाले मौके पर आये थे। उसका और अन्य घायलों को थाना सिधारी ले गये और थाना सिधारी से एक सिपाही के साथ उन लोगों को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पल्हनी ले जाया गया, जहाँ पर सभी घायलों का डॉक्टरी मुआयना व इलाज हुआ था। दरोगा जी ने घटना के लगभग 12–13 दिन बाद उसके घर पर आकर उसका बयान लिया था। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पल्हनी में डॉक्टर ने उसकी चोटों का मुआयना करने के बाद मुआयना वाली रिपोर्ट पर उसके बाँए हाथ का अंगूठा निशानी लगवाया था, उसे याद है।

उक्त साक्षी द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया गया है कि वह ग्राम बैदरा थाना महराजगंज का रहने वाला है। वह राजगीर का काम काफी दिनों से कर रहा है। घटनास्थल उसके गाँव से लगभग 50किमी० दूर है। रामकरन यादव उसके रिश्तेदार हैं। उन्हीं के कहने पर वह आज न्यायालय में उनकी तरफ से गवाही करने आया है। रामकरन के अलावा उनके पड़ोसी को वह घटना से पहले जानता पहचानता था। रामकरन के घर के उत्तर तरफ मैदान है, दक्षिण तरफ किसका घर है नहीं बता सकता, पूरब तरफ कमलेश विमलेश और पश्चिम तरफ किसका मकान है, वह नहीं बता सकता। कमलेश, विमलेश का नाम वह रामकरन के बताने पर नहीं बता रहा हूँ, उन्हें वह पहले से ही जानता है। कमलेश और विमलेश का नाम अपने रिश्तेदार के यहाँ आने जाने से पता चला। 4–5 मजदूर जिनका नाम उसे याद नहीं है उन्हें दूसरा मिस्त्री राजेन्द्र लेकर आया था। वह 4–5 मजदूर, एक मिस्त्री और वह उसी दिन रामकरन के यहाँ पहले दिन काम करने गये थे। उसे माप का पता नहीं है कि उसके ऊपर कितनी दूरी से फायर हुआ। फिर कहा कि लगभग 02 लट्ठा दूरी से फायर किया। कुल 03फायर हुआ था। उसके ऊपर सिर्फ 01 फायर हुआ था। वह जहाँ खड़ा था, वहाँ दीवार नहीं

थी। फायरिंग के समय उसके अगल– बगल में कौन–कौन खड़ा था, याद नहीं है। लाठी–डण्डा की चोट उसे लगी थी। चोट उसके शरीर पर लगी थी। छर्रा से चोट उसके बाँए कान के ऊपर थी। छर्रा से रगड़ की चोट आयी थी, बाल नहीं जला था, खून निकल रहा था, कपड़े पर खून लगा था। दरोगा जी ने उसके कपड़े को देखा था। दरोगा जी ने लिखा पढ़ी किया कि नहीं उसे नहीं मालूम। उसके अगल–बगल में कुल 6–7 आदमी थे, जिनमे 5–6 लेबर थे और एक रामकरन थे। ये सभी लोग उसके आस–पास उसके चारों तरफ अन्दाजन एक फीट, एक बित्ता व एक हाथ की दूरी पर खड़े थे। फिर कहा कि सब लोग उसके आस–पास खड़े थे। थाने पर वह लगभग 2 से 2.30 बजे के बीच में आया था। थाने पर लगभग 1 घण्टे तक रहा। तहरीर थाने पर उसने नहीं तैयार करवायी। तहरीर रामकरन ने तैयार करवायी थी। तहरीर जहाँ लिखी जा रही थी वहाँ वह नहीं था। फिर कहा कि तहरीर जहाँ लिखी जा रही थी वहाँ वह था। वह पढ़ा लिखा आदमी है। तहरीर में यह बात लिखी गयी थी कि उसे कट्टे के फायर की चोट लगी थी या नहीं यह बात उसे याद नहीं है। विवेचना अधिकारी को उसने यह बात बतायी थी या नहीं कि उसे कट्टे के फायर की चोट लगी थी, याद नहीं है। उसने विवेचना अधिकारी को नहीं बताया था कि उसे कट्टे के फायर की चोट लगी थी। वह अपने गाँव से अकेले ही आया था। यह कहना गलत है कि वह रामकरन का रिश्तेदार होने के कारण उनकी साजिश मे होकर अपने शरीर पर फर्जी चोट बनवाकर झूठा साक्षी बना। यह भी कहना गलत है कि रामकरन का रिश्तेदार होने के कारण झूठी गवाही दिया।

19. अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी पी०डब्लू०–4 डॉ० ए०के० चौधरी ने सशपथ बयान में कहा है कि मजरूब के मुआयने के समय वह चिकित्साधिकारी के पद पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पल्हनी, आजमगढ़ में कार्यरत था। मजरूब राजेन्द्र पुत्र स्व० तिलक को हे०कां० ओमप्रकाश राय द्वारा उसके समक्ष दिनांक 03.11.2017 को 03 बजकर 10 मिनट सायंकाल को लाया गया था। मजरूब के शरीर के केस पर तिल का निशान था। मजरूब को कुल चार चोट लगी थी।

चोट नं०–1 कंट्यूजन 3x2 सेमी. दाहिने हाथ की कलाई पर था।

चोट नं०–2 कंट्यूजन 5x2 सेमी. लोअर लेग बाँयी तरफ घुटने से 7 सेमी नीचे थी।

चोट नं०–3 कंट्यूजन 7x2 सेमी बाँये पैर में चोट नं०–2 के 8 सेमी. नीचे।

चोट नं०–4 सूजन 9x6 सेमी. बाँये फुट में थी।

चोट नं०–1 और चोट नं०–4 को एक्स–रे व इलाज के लिये जिला अस्पताल आजमगढ़ के लिये रेफर किये। सभी चोटें हार्ड एण्ड ब्लन्ट से आई हुई थी। मजरूब का डॉक्टरी मुआयना उसके द्वारा किया गया था। पत्रावली में शामिल कागज सं०–7क/3 उसके लेख व हस्ताक्षर में है, जिसे वह तस्दीक करता है, जिस पर प्रदर्श क–2 डाला गया।

घायल रामपत यादव पुत्र स्व० उदयनरायन यादव को होमगार्ड ओमप्रकाश राय, थाना सिधारी द्वारा लाया गया। मजरूब का डॉक्टरी मुआयना उसके द्वारा किया गया। मजरूब को कुल 6 चोटें थीं।

चोट नं०–1 सिर में बाँयी तरफ लेसरेटेड वुन्ड 1x0.5 सेमी थी।

चोट नं०–2 कंट्यूजन10x3 सेमी. बाँयी तरफ पीठ में थी।

चोट नं०–3 कंट्यूजन14x2 सेमी. बाँयी तरफ पसली में थी।

चोट नं०–4 कंट्यूजन 17x6 सेमी पेट के पीछे थी।

चोट नं०–5 कंट्यूजन 1x1 सेमी. बाँयी तरफ, बाँये हाथ की कोहनी में थी।

चोट नं०–6 कंट्यूजन 13x4 सेमी. बाँयी जाँघ पर थी।

दाहिने पैर में दर्द एवं कमर दर्द की शिकायत बताई गयी। चोट नं०–1 को keep under observation में रखकर जिला अस्पताल आजमगढ़ रेफर किया गया। बाकी चोट सामान्य हार्ड एण्ड ब्लन्ट ऑब्जेक्ट से लगी थी। उसके द्वारा मजरूब का डॉक्टरी मुआयना तैयार किया गया था, जो शामिल पत्रावली 7क/4 है, जो उसके लेख व हस्ताक्षर में है, जिस पर प्रदर्श क–3 डाला गया।

उक्त साक्षी द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया गया है कि चोट नं०–01 रामपत की एक्स–रे की सलाह दी गयी। बाकी चोटें साधारण है और कठोर हथियार से आना बताया है। रामपत की चोट नं०–1का कोई एक्स–रे पत्रावली में नहीं व उसके समक्ष नहीं है। राजेन्द्र की चोट नं०–1 व 4 के संबंध में एडवाइज दी गयी थी, परन्तु कोई एक्स– रे रिपोर्ट या सी.टी.स्कैन पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। दोनों चोटहिलों की चोट गिरने से आ सकती हैं। यह कहना गलत है कि दोनों मजरूबों के शरीर पर कोई चोट नहीं थी। वह चोटहिलों के दबाव में आकर यह झूठी रिपोर्ट तैयार किया।

20. अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी पी०डब्लू०–5 राजेन्द्र ने सशपथ बयान में कथन किया है कि घटना दिनांक03.11.2017की है। वह उस दिन रामकरन यादव के घर मकान के निर्माण कार्य हेतु गया हुआ था। उसके साथ कई अन्य मजदूर भी काम कर रहे थे। सुबह 10.30 बजे का समय था कि रामकरन के पट्टीदार विमलेश, कमलेश और कैलाश लाठी–डण्डा से लैस एकराय होकर आये और रामकरन से झगड़ा करने लगे और कहने लगे कि यहां मकान मत बनवाओ यह जमीन उनकी है। रामकरन ने कहा कि यह उसका पुराना मकान था इस पर वह अपना मकान बनवायेगें। इसी बात पर नाराज होकर उपरोक्त तीनों लोग रामकरन को मारने लगे। रामकरन को बचाने के लिए वह, रामपत, सुनील, शोभनाथ व अन्य मजदूर मिस्त्री दौड़े। उन लोगों के पहुंचने पर मुल्जिमान उन पर टूट पड़े और लाठी–डण्डा से मार पीटकर उन लोगों को घायल कर दिये। उसे बाँये पैर तथा दाहिने हाथ में चोट आयी थी। तभी कैलाश व कमलेश दौड़कर अपने घर में गये और कट्टा लेकर आये और गाली गुप्ता देते हुए रामकरन को दौड़ा लिये और उनको लक्ष्य कर जान से मारने की नीयत से उनके ऊपर फायर कर दिये। गोली रामकरन के सिर के ऊपर से निकल गयी। उसके बाद कैलाश ने एक और फायर किया जो रामपत के कान के ऊपर से छीलते हुए गोली निकल गयी। गिरते पड़ते रामकरन वहाँ से भागे। बहुत–से लोग इकट्ठा हो गये और मुल्जिमान गाली–गुप्ता देते हुए वहाँ से भाग गये। 100 नम्बर डायल किया गया तो पुलिस आयी और उन सभी घायलों को लेकर थाने पर गयी और वहाँ से डॉक्टरी मुआयना के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पल्हनी ले गयी, जहाँ उनका डॉक्टरी मुआयना हुआ था।

उक्त साक्षी द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया गया है कि वह मिस्त्री का कार्य करता है, जोड़इया का कार्य करता है। उसके घर से महराजगंज की दूरी 10–12 किलोमीटर दूर है। उशके घर आजमगढ़ से 30 किलोमीटर दूर है। वह घटनास्थल पर 10 पहुंचा था। वह रामकरन यादव को पहले से जानता नहीं था और न ही विमलेश, कमलेश व कैलाश को ही पहले से जानता नहीं था। पुराने मकान की जगह नये मकान की जगह की दीवार नींव से लगभग 5 फीट दूर थी।

21. अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी पी०डब्लू०–6 शोभनाथ ने सशपथ बयान में कहा है कि दिनांक 03.11.2017 को मजदूर के रूप में (ईंटा गारा) रामकरन यादव के घर मकान बनाने के लिये गया था। जैसी ही वे लोग नींव खोदने लगे, तभी उनके पड़ोसी लड़ाई–

झगड़ा करने लगे। लड़ाई–झगड़े में तीन लोग थे। विमलेश व कैलाश ये लोग रामकरन जो उन लोगों को बुलाये थे, उस जमीन के मालिक थे और मजदूरों को जिनका नाम रामपत, राजेन्द्र, सुनील, धर्मेन्द्र आदि मजदूर व मिस्त्रियों को लाठी–डण्डे से मारने–पीटने लगे। उपरोक्त तीन लोग कमलेश, विमलेश व कैलाश लाठी–डण्डे से मारने लगे। सबसे खराब बात तब हुई, जब कैलाश दौड़कर अन्दर अपने मकान में गये और कट्टा लेकर आये और रामकरन यादव के ऊपर फायर कर दिये, लेकिन वे गिर गये, जिसमें गोली उन्हें नहीं लगी। यह देखकर मजदूर घबरा गये और इधर–उधर भागकर अपना जान बचाए। इन लोगों के मारने–पीटने में रामकरन, रामपत, राजेन्द्र और सुनील को गंभीर चोट आयी। पुलिस मौके पर आयी और घायलों को अस्पताल ले गयी।

उक्त साक्षी द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया गया है कि वह रामकरन यादव का रिश्तेदार नहीं है। उसके ग्रुप में 5–7 लोग आये थे। उस समय रोशनगंज और ओरियाश के रहने वाले थे। वे लोग आसपास के गाँव में मेहनत मजदूरी के लिये काम खोजते हैं। जिसके ऊपर मुकदमा रामकरन ने लिखाया था, उसको वह पहले से नहीं जानता था। वह मौके पर जब गया तो कैलाश, विमलेश और कमलेश को जान लिया, वहां पर तमाम लोग थे। उनके बताने पर वह उन लोगों का नाम जाना था कि यही लोग हैं। वह रामकरन यादव के घर पहली बार मजदूरी करने गया था। रामकरन का पहले से मकान बना हुआ था कि नहीं, वह नहीं बता सकता। मकान की नीव वे लोग उत्तर दक्षिण दिशा में खोद रहे थे। ज्यों ही तुरन्त खोदना शुरु किये, त्यों ही तुरन्त झगड़ा हो गया। वे लोग चले गये। नींव थोड़ा बहुत खोदा गया। वे लोग 8–10 आदमी काम पर गये थे। ईंटा डण्डा चल रहा था। ईंटा किसको लगा, याद नहीं है। फिर कहा लेवर में सुनील को चोट लगा था, मिस्त्री को भी चोट आया था, नाम याद नहीं है। उसको इस बात की जानकारी नहीं कि आपस में जमीन का विवाद है। 5–7 मिनट लाठी–डण्डा चला। उसके बाद ईंटा–पत्थर चला, फिर उसके बाद अंधाधुन्ध फायरिंग भी चली। रामकरन और राजपत घायल हुए। मौके पर पुलिस पहुंची। वे लोग चोटहिल को डॉक्टरी कराने के लिये ले गये। चोटहिलों का कहां–कहां डॉक्टरी मुआयना हुआ, यह जानकारी नहीं है। फिर कहा सदर अस्पताल में डॉक्टरी मुआयना हुआ। घटनास्थल से उसका घर 30–35 किलोमीटर की दूरी पर है। घटना के बाद पुलिस द्वारा सम्मन ले जाने पर उसे सूचना हुआ कि उसे इस मुकदमे में गवाह बनाया गया है। इसके पहले किसी पुलिस वाले से उसकी मुलाकात नहीं हुई, न ही

उसका कोई पुलिस वाले बयान लिया था। जो गाँव वाले बताये, तब वह बयान आया है, वह वही बयान दे रहा है। यह कहना गलत है कि उसके सामने कोई घटना घटित हुई थी, न उसके सामने ईंटा–पत्थर गोली चली। अभियुक्त हाजिर अदालत कैलाश को देखकर बताई कि वह पहले इनको नहीं जानता–पहचानता था। यह कहना गलत है कि उसने कोई घटना नहीं देखी, न ही किसी अभियुक्तगण को जानता–पहचानता है। रामकरन के मकान में ही नींव खोदा जा रहा था, यह बात रामकरन ने उसे बताया, जहां नींव खोद रहे थे, उसके पूरब अभियुक्त का मकान है, यह बात भी उसे रामकरन ने बताई थी।

22. अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी पी०डब्लू०7 घनश्याम यादव निरीक्षक ने सशपथ बयान में कहा है कि दिनांक 15.11.2017 को वह थाना सिधारी, आजमगढ़ में, वह बतौर उ०नि० कार्यरत था। मु०अ०सं०–328/2017, धारा–307, 323, 504 भा.द.सं., थाना सिधारी, आजमगढ़ की प्रारम्भिक विवेचना उ०नि० रघुराज सरोज द्वारा की जा रही थी जिनके स्थानान्तरण अन्यत्र हो जाने के कारण अपराध उपरोक्त की विवेचना उसके द्वारा दिनांक 15.11.2017 को ग्रहण की गयी और सी.डी. पर्चा नं०–2 किता किया गया जिसमें पूर्व किता किये गये पर्चे का अवलोकन करते हुये घटनास्थल पर हमराहीगण के साथ जाकर घटना के बारे में जानकारी ली गयी। उपस्थिति लोगों से पूछताछ की गयी जिसमें अभियुक्तगण विमलेश, कमलेश व कैलाश द्वारा वादी मुकदमा रामकरन यादव व उसके मजदूरों रामपत व राजेन्द्र को लाठी–डण्डा से बुरी तरह मारकर घायल करने व जान मारने की नियत से अवैध असलहे से फायर करने की बात बताई गयी है। अभियुक्तगण की तलाश की गयी। दिनांक 16.11.2017 को सी.डी. पर्चा नं०–3 में वादी मुकदमा के घर में जाकर मौके पर उपस्थित गवाह मजरूब रामपत यादव, मजरूब सुनील यादव, मजरूब राजेन्द्र का बयान अंकित किया गया। दिनांक 17.11.2017 को सी.डी. पर्चा नं०–4 में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में अभियुक्तगण द्वारा योजित रिट संख्या– 24606/2017 दिनांकित 13.11.2017में पारित अभियुक्तगण की गिरफ्तारी पर स्थगन आदेश का अंकन करते हुये संलग्न सी.डी. किया गया और मौके पर जाकर अभियुक्तगण की तलाश की गयी। अभियुक्त के मोबाइल नंबर 8115318919 से उनसे संपर्क किया गया, बुलाने पर भी उपस्थित नहीं आया। दिनांक 24.11.2017 को सी.डी. पर्चा नं०–5 में घटनास्थल पर जाकर गवाहान शोभनाथ यादव, जितेन्द्र यादव, संजय, लालपति, देवनाथ, रामबचन का बयान अंकित किया गया और

मजरूबगण की चोटों का मेडिकल परीक्षण किये। डॉक्टर ए०के० चौधरी का बयान पी.एच.सी. पल्हनी जाकर अंकित किया गया और अभियुक्तगण की तलाश करके उनके घर आकर अभियुक्तगण कैलाश यादव, विमलेश यादव व कमलेश यादव का बयान अंकित किया गया। चूंकि माननीय द्वारा अभियुक्तगण की गिरफ्तारी के बावत स्थगन आदेश पारित होने के कारण अभियुक्तगण की गिरफ्तारी नहीं की गयी, जिसके कारण घटना में प्रयोग किया गया लाठी–डण्डा व अवैध असलहा की बरामदगी नहीं की जा सकी और विवेचना से प्राप्त साक्ष्यों, बयान गवाहान, बयान वादी मुकदमा, निरीक्षण घटनास्थल, अवलोकन आघात आख्या आदि साक्ष्यों सबूतों के आधार पर अभियुक्तगण विमलेश यादव, कैलाश व कमलेश यादव के विरुद्ध अपराध धारा–307, 323, 504 भा.द.सं. का बखूबी पाये जाने पर आरोप पत्र संख्या–ए–173/2017 दिनांकित 24.11.2017 माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया। आरोप पत्र शामिल पत्रावली कागज सं०–3क/1 ता 3क/5 मूल आरोप पत्र को देखकर साक्षी ने उस पर बने अपने हस्ताक्षर को तस्दीक किया और कहा यही आरोप पत्र उसने माननीय न्यायालय के समक्ष प्रेषित किया, जिस पर प्रदर्श क–3 डाला गया।

उक्त साक्षी द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया गया है कि उसके पहले इस मुकदमे के विवेचक एस.आई. रघुराज सरोज थे। इसके बाद संपूर्ण विवेचना उसके द्वारा की गयी है। उसे अपराध की जाँच मिली थी। जमीन का जाँच नहीं मिला था। यह विवाद भूमि पर निर्माण को लेकर था। यह भूमि किसकी थी, स्वामित्व के संबंध में उसे जाँच करने का अधिकार नहीं है। मारपीट का मुख्य कारण जमीन थी। उसने अपराध की जाँच किया है। जहां पर जमीन विपक्षियों द्वारा कब्जा की जा रही थी। यह बात उसने विवेचना में कहीं नहीं लिखा है। नींव खोदने में तीन–चार मजदूर लगे थे। नींव मौके पर जो खोदी जा रही थी, वह नक्शा नजरी में लिखा है। वादी मुकदमा ने बताया कि उनकी पुश्तैनी जमीन है, पुराना मकान गिराकर नया मकान बना रहे थे। मकान पहले से गिरा हुआ था, तीन चार मजदूर नींव खोद रहे थे। विमलेश, कैलाश व कमलेश का मकान मैंने नहीं देखा था। उसके द्वारा नक्शा नजरी नहीं बनाया गया था बल्कि उसके पूर्व विवेचक द्वारा बनाया गया था। इस प्रकरण में आरोप पत्र उसके द्वारा प्रेषित किया गया था। वह मौके पर जाकर नक्शा नजरी का सत्यापन किया था। विमलेश, कमलेश व कैलाश सभी लोगों का मकान अगल बगल है। उसे नहीं मालूम कि रामकरन का मकान कितने दिन पहले गिरा था, जब वह मौके पर गया था तो खाली जमीन थी, नींव खोदा गया था। उस

खाली जमीन को रामकरन अपनी बताते थे और मुल्जिमान अपनी बताते थे। इसी बात को लेकर विवाद हुआ था। वह रामकरन के अलावा जमीन सम्बंधित (मालिकाना हक) के बारे में किसी अन्य से पूछताछ नहीं किया था। उसने रामकरन द्वारा बताये गये मजदूरों से पूछताछ कर उनका बयान अंकित किया था। सुनील यादव का नाम पता केस डायरी में अंकित किया है। रामकरन के गांव के सुनील यादव रहने वाले नहीं थे, उनका घर ग्राम रोशनगंज थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ है। रामपत का घर ग्राम बैदरा, थाना महाराजगंज, जनपद आजमगढ़ है। राजेन्द्र पुत्र तिलकधारी का घर ग्राम देवारा, थाना रौनापार, जनपद आजमगढ़ है। उपरोक्त तीनों लोगों का रामकरन से क्या रिश्ता था, उसे नहीं मालूम। वे सभी केवल मजदूरी करने आये थे। रिश्ते के सम्बंध में उसने कोई पूछताछ नहीं की थी। यह कहना गलत है कि रामपत, राजेन्द्र व सुनील यादव, रामकरन के रिश्तेदार थे। विवेचना के क्रम में उसे जानकारी नहीं हो पायी कि रामकरन ने उपरोक्त लोगों को घटनास्थल पर बुलाया था। यह कहना गलत है कि रामकरन ने जमीन कब्जा करने के लिए उपरोक्त लोगों को बुलाया था बल्कि यह सही है कि उपरोक्त तीनों मजदूर के रूप में मौके पर आकर नींव खुदाई किये थे। घायल व्यक्तियों के अपराधिक पृष्ठभूमि के संदर्भ में कोई विवेचना नहीं की थी और न ही विवेचना के क्रम में उसने किसी भी घायल मजदूर से ये पूछा कि वे अपने गांव से इतने दूर आकर यहां मजदूरी क्यों कर रहे थे। उसके द्वारा किसी भी प्रकार के असलहे, लाठी डंडे की कोई बरामदगी नहीं की गयी थी। वादी व गांव के लोगों व मजदूरों द्वारा काफी भीड़ द्वारा यह कहा गया कि कैलाश व कमलेश असलहे से फायर किये जिससे भागने में कई लोगों को चोटें लगी थीं। उस भीड़ में से घायलों व कई गवाहों का बयान उसने अंकित किया है। उसी में रामपत, राजेन्द्र को चोट लगी थी।

प्रश्न– क्या उसी भगदड़ में घटना में घायल व्यक्तियों को भी चोट आयी थी?

उत्तर– घटनास्थल पर भगदड़ नहीं हुयी थी, बल्कि विमलेश, कैलाश व कमलेश ने मारपीट किया था, जिससे चोटें आयी थी। यह बात वादी व गवाहान ने मुझे बताया था।

प्रश्न– क्या चोटहिल रामपत, सुनील व राजेन्द्र अभियुक्तगण को पहले से जानते पहचानते थे?

उत्तर– जी हां, जानते पहचानते थे तभी नाम पता बताकर बयान अंकित कराये थे।

प्रश्न– क्या चोटहिल रामपत, सुनील व राजेन्द्र अभियुक्तगण के रिश्तेदार थे, जो उनका नाम वो पहले से जानते पहचानते थे?

उत्तर– चोटहिल रामपत, राजेन्द्र व सुनील ने नाम पता बताकर बयान अंकित कराया था, रिश्तेदारी के सम्बंध में नहीं बताया था।

प्रश्न– उपरोक्त तीनों व्यक्ति गांव में कितनी बार मजदूरी करने आये थे?

उत्तर– जब घटना हुयी थी, तब मैं विवेचना करने गया था, उसके पूर्व कितनी बार मजदूरी करने आये थे मुझे जानकारी नहीं है और विवेचना के क्रम में मैनें पूछा भी नहीं।

यह कहना गलत है कि उसने वादी मुकदमा को लाभ पहुंचाने की दृष्टि से वादी के साथ मिलकर त्रुटिपूर्ण विवेचना की थी। यह भी कहना गलत है कि प्रकरण की विवेचना निष्पक्ष व निष्ठापूर्वक नहीं की गयी।

23. अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी पी०डब्लू०8 सेवानिवृत्त उ०नि० रघुराम सरोज ने सशपथ बयान में कहा है कि सिधारी थाने पर वह वर्ष 2017 से 2018 के मध्य उ०नि० के पद पर कार्यरत रहा। इस तैनाती के दौरान अ०सं०–328/2017, धारा–307, 323, 504 भा.द.सं., थाना सिधारी, आजमगढ़ की विवेचना उसके द्वारा दिनांक 04.11.2017 को ग्रहण की गयी, जिसकी नकल चिक रपट बयान एफ.आई.आर. लेखक बालेन्दू भूषण ओझा कां०मुंशी, बयान वादी मुकदमा रामकरन यादव अंकित करते हुये वादी मुकदमा की निशानदेही पर घटनास्थल का निरीक्षण करके नक्शा–नजरी तैयार किया था और घायल राजेन्द्र यादव के मेडिकल रिपोर्ट का अवलोकन किया था तथा घायल रामपत यादव का भी मोडिकल रिपोर्ट का अवलोकन किया था। नक्शा नजरी उसके द्वारा तैयार किया गया था, जो उसके लेख व हस्ताक्षर में है। कागज सं०–6क संलग्न पत्रावली है, जिसे वह तस्दीक करता है, जिस पर प्रदर्श क–4 डाला गया। इसके बाद की अग्रिम विवेचना उ०नि० घनश्याम यादव द्वारा की गयी थी। घनश्याम यादव उससे कोई पूछताछ नहीं किये थे।

उक्त साक्षी द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया गया है कि रामकरन का बयान उसने पल्हनी, उनके घर पर लिया था। उसके बताने पर उसने नक्शा नजरी तैयार किया था। जिस विवादित जमीन पर कब्जा किया जा रहा था, वह जमीन विवादित थी, किसकी थी, वह पता नहीं किया। उस जमीन के संबंध में किसी अन्य से उसने जानने का प्रयास नहीं किया कि जमीन किसकी है। यह कहना गलत है कि उसने गलत विवेचना किया है।

24. अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी पी०डब्लू०9 मुख्य आरक्षी बालेन्दू भूषण ओझा ने सशपथ बयान में कहा है कि वह दिनांक 03.11.2017 को थाना सिधारी, आजमगढ़ में कां० मु० के पद पर तैनात था। वादी मुकदमा रामकरन यादव पुत्र स्व० बेचू यादव के लिखित प्रार्थना पत्र पर थाना प्रभारी के आदेश निर्देश पर मु०अ०सं०–328/2017, धारा–307, 323, 504 भा.द.सं., थाना सिधारी, आजमगढ़ की चिक एफ.आई.आर. सी.सी.टी.एन.एस. पर किता किया था। सी.सी.टी.एन.एस. पर चिक एफ.आई.आर. व उसकी कायमी जी.डी. रपट सं०– 14 दिनांकित 03.11.2017 समय 14.30 बजे किता कराया था। जी.डी. कायमी पर प्रदर्श क–5 डाला गया। मूल चिक एफ.आई.आर. कागज सं०– 4क1 ता 2 शामिल पत्रावली है। जिसे वह तस्दीक करता है, जिस पर प्रदर्श क–6 डाला गया।

उक्त साक्षी द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया गया है कि मूल जी०डी० उसके सामने है। अ०सं०–328/2017 से पहले कौन–कौन सा अपराध पंजीकृत हुआ था, उसे याद नहीं है और उसके बाद भी कौन–सा अपराध पंजीकृत हुआ, उसे याद नहीं है। वह कम्प्यूटर चलाना नहीं जानता। सी.सी.टी.एन.एस. मुंशी से टाइप करवाया था। यह कहना गलत है कि उसने एण्टीटाइम और एण्टीडेटेड मुकदमा पंजीकृत किया है।

साक्षीगणों के साक्ष्य के उपरांत पत्रावली में न्यायालय को अब यह देखना है कि क्या अभियुक्तगण पर लगे आरोप युक्तियुक्त संदेह से परे सिद्ध हो रहे हैं अथवा नहीं?

25. पत्रावली में पक्षकारों की बहस सुनी गयी तथा उनके द्वारा दी गयी विधि व्यवस्थाओं का परिशीलन किया गया। दोनों पक्षों द्वारा अपने–अपने कथनों के समर्थन में मौखिक कथन के अलावा विधि व्यवस्थाओं को भी प्रस्तुत किया गया है जिनका अवलोकन किया गया।

26. इस प्रकरण में अभियोजन द्वारा तथ्य के साक्षी के रूप में वादी मुकदमा सहित कुल 05 (पाँच) साक्षियों को परिक्षित कराया है और अन्य औपचारिक साक्षियों को मिलाकर कुल 09 (नौ) साक्षियों को अभियोजन द्वारा अपना कथानक को सिद्ध करने के लिए न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है जिनका नियमानुसार बयान व जिरह अंकित की गयी है।

27. प्रकरण में मूल रूप से अभियुक्तगण पर भा०दं०सं० की धारा–307/34, 323/34, 504 का आरोप लगा कर विचारण किया गया है।

Section–307 deals with Attempt to murder:–"*Whoever does any act with such intention or knowledge, and under such circumstances that, if he by that act caused death, he would be guilty of murder, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to ten years, and shall also be liable to fine; and if hurt is caused to any person by such act, the offender shall be liable either to imprisonment for life, or to such punishment as is hereinbefore mentioned."*

Section 323 deals with Punishment for voluntarily causing hurt.– *"Whoever, except in the case provided for by Section 334, voluntarily causes hurt, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to one year, or with fine which may extend to one thousand rupees, or with both."*

Section 504 deals with **Intentional insult with intent to provoke breach of the peace.**– *"whoever intentionally insults, and thereby gives provocation to nay person, intending or knowing it to be likely that such provocation will cause him to break the public peace, or to commit any other offence, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to two years, or with fine, or with both."*

पत्रावली पर अभियोजन साक्षी संख्या–1 रामकरन यादव को प्रस्तुत किया गया है जिनके द्वारा अपने बयान व जिरह में प्रदर्श क–1 तहरीर को साबित किया गया है। यह साक्षी घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है। इस साक्षी के घर पर भी आपराधिक घटना कारित हुयी थी जिसमें उसके बयान के अनुसार राजेन्द्र, रामपत व सुनील घटना में घायल हुए थे। इस साक्षी से बचाव पक्ष द्वारा लम्बी जिरह की गयी है परन्तु अभियोजन के प्रतिकूल कोई निष्कर्ष निकल के नही आयी है, ब्लकि इसके विपरीत साक्षी संख्या–4 डॉ० ए०के० चौधरी द्वारा साबित प्रदर्श क2 से घायल व्यक्तियों की चोटें भली–भाँति सिद्ध हो रही है।

28. बचाव पक्ष की ओर से यह बहस की गयी है कि प्रदर्श क1 तहरीर जिसके आधार पर दिनांक 03.11.2017 को एफ०आई०आर लिखायी गयी है वह तहरीर पूर्ण रूप से स्पष्ट नही है तथा उसमें कई बातों को छोड़ दिया गया है जिसके संदर्भ में मात्र न्यायालय के समक्ष बयान देते समय वादी मुकदमा व अन्य लोगों द्वारा कथन किये गये है। इस विसंगति के कारण तहरीर और उसके क्रम में लिखायी गयी एफ०आई०आर अप्रासंगिक हो जाती है जिसका लाभ बचाव पक्ष को दिया जाना चाहिए।

विद्वान ए०डी०जी०सी० द्वारा उक्त बहस के विरोध यह कह कर किया गया है कि तहरीर/एफ०आई०आर का मूल आशय मात्र पुलिस को घटना की सूचना देकर उनसे कार्यवाही की मांग करना होता है। अभियोजन कथानक के क्रम में दी गयी एफ०आई०आर में कुछ छुटपुट विरोधाभास के कारण उक्त एफ०आई०आर को अप्रासंगिक नही माना जा सकता।

29. न्यायालय अभियोजन इस तर्क से सहमत है क्योंकि अपनी कई विधि व्यवस्थायों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह कथन किया गया है कि किसी भी प्रकरण की एफ०आई०आर उसका Encyclopaedia नही होती है और मात्र छुटपुट विसंगति के आधार पर एफ०आई०आर को गलत नही माना जा सकता। ***Amish Devgan versus Union of India*** *2020* ***SCC Online SC*** *994–" FIR is not an encyclopaedia disclosing all facts and details relating to the offence. It is not meant to be detailed document containing chronicle of all intricate and minute details."*

न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत साक्षी संख्या 2 सुनील यादव द्वारा भी अपने बयान व जिरह से अभियोजन कथानक का समर्थन किया है तथा घटनास्थल पर तीनों अभियुक्तगण की न केवल उपस्थिति को भली–भाँति सिद्ध किया है ब्लकि अभियुक्तगण द्वारा किये गये कार्य जैसे की (अभियुक्त विमलेश द्वारा उसे दांत से हाथ में काट लेना तथा अभियुक्त कैलाश व कमलेश द्वारा कट्टे से गोली चलाये जाने की बात को भी) भली–भाँति सिद्ध किया है। यह साक्षी घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी होने के साथ–साथ घायल साक्षी भी है।

30. इसी क्रम में अभियोजन साक्षी संख्या 3 के रूप में रामपत यादव तथा साक्षी संख्या 5 के रूप में राजेन्द्र को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। दोनों साक्षी न केवल घटना के

प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है ब्लकि घायल साक्षी भी जिनके द्वारा स्पष्ट रूप से अभियुक्तगण द्वारा किये गये कार्यों को अपने बयान व जिरह में बताया गया है। दोनों साक्षियों को आयी चोटें के संदर्भ में साक्षी संख्या पी0डब्लू0 4 द्वारा प्रदर्श क 2 के जरिये सिद्ध मेडिकल रिपोर्ट के द्वारा न्यायालय के समक्ष सिद्ध किया गया है। साक्षी संख्या 3 रामपत के बाये कान के ऊपर से चली गोली के संदर्भ में आयी चोट को भी मेडिकल प्रपत्र प्रदर्श क 3 के जरिये सिद्ध किया गया।

इसी क्रम में अभियोजन की ओर से परिक्षित साक्षी संख्या 6 शोभनाथ जो कि घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी बताये गये है द्वारा भी घटना को सिद्ध किया गया है और अभियुक्तगण की भी घटनास्थल पर उपस्थिति एवं उनके द्वारा आपराधिक कृत्य को न्यायालय के समक्ष सिद्ध किया गया है।

31. बचाव पक्ष की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस की गयी है कि इन साक्षियों के जिरह के परिशीलन से यह स्पष्ट निकलकर आता है कि कोई भी साक्षी उस गांव का निवासी नही है जहां की घटना बतायी जा रही है। सभी साक्षी घटनास्थल से कम से कम 10 से 20 किलोमीटर की दूरी पर रहते है। ऐसे में ये लोग घटना वाले दिन घटनास्थल पर क्या कर रहे थे, इस संदर्भ में कोई उचित स्पष्टीकरण नही दिया गया है। यह भी सुसंगत है कि अपनी जिरह में उक्त साक्षी न्यायालय के समक्ष स्पष्ट रूप से यह नही बता पाये कि घटना वाले दिन कौन-सा अभियुक्त तथा कौन-सा पीडित व्यक्ति किस स्थान पर खड़ा था। घटनास्थल पर कुल मजदूरों की संख्या के संदर्भ में भी विरोधाभास है जिसका लाभ बचाव पक्ष को दिया जाना चाहिए।

32. विद्वान ए०डी०जी०सी० द्वारा इस बहस का विरोध करते हुए कहा गया है कि न्यायालय को साक्षीगण के साक्ष्य को संपूर्णता से पढ़ना होगा और यदि छुटपुट अंतर विरोध के बावजूद अभियोजन कथानक सिद्ध हो रहा हो तो साक्षी के साक्ष्य पर अविश्वास नही किया जाना चाहिए।

33. न्यायालय इस स्तर पर विद्वान ए०डी०जी०सी० के इस तर्क से सहमत है क्योंकि किसी भी व्यक्ति से यह अपेक्षा नही की जा सकती की वह बिल्कुल photographic memory रखता हो। घटना कारित होने, उसके बाद न्यायालय के समक्ष हुए बयान के दौरान जो समय व्यतीत होता है उसमें साक्षी के घटनास्थल के संदर्भ में छुटपुट अंतर विरोध सम्भव है। सभी साक्षियों द्वारा यह बताया गया है कि वह लेबर तथा मिस्त्री के रूप में काम करते है

और वादी मुकदमा द्वारा अपने घर में कराये जा रहे कार्य के संदर्भ में घटनास्थ्ल पर आये थे। घटनास्थल पर उनकी उपस्थिति तथा उनके द्वारा लेबर के रूप मे किये जा रहे कार्य के संदर्भ में बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कोई प्रतिकूल साक्ष्य नही दिया गया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि साक्षीगण द्वारा जो लेबर और मिस्त्री के रूप में काम करने की बात बतायी गयी है वह सही है और उस स्तर पर अभियोजन कथानक सिद्ध होता है। साक्षीगण के साक्ष्य में छुटपुट अंतर विरोध सामान्य बात है। इस प्रकरण में भी छुटपुट अंतर विरोध के विपरीत अभियोजन कथानक से घटनास्थल पर न केवल अभियुक्तगण की उपस्थिति ही सिद्ध होती है ब्लकि उनके द्वारा कारित अपराध भी भली–भाँति सिद्ध हो जाता है। यदि अभियोजन कथानक विपरीत परिस्थितियों के बाद भी सिद्ध हो रहा हो तो छुटपुट अंतर विरोध के आधार पर साक्षी के साक्ष्य को अनदेखा नही किया जा सकता।

"विधि व्यवस्था ***Heera Lal and another vs. State of U.P. [2011 (75) ACC 8*** में उल्लेखित विधि के सिद्धान्त को न्यायालय में प्रस्तुत किया। उक्त ससम्मानीय विनिश्चय का पैरा–2:–

*"**The minor discrepancies in the statements of the ocular witnesses are most natural and their testimonies cannot be discarded merely on the ground of minor discrepancies in their statements. They are the most natural witnesses of the incident and their testimonies cannot be disbelieved merely on the ground that they are closely related with the deceased. They should be the least disposed to falsely implicate the accused or substitute them in place of the real culprit. It is a matter of common experience that the independent persons, generally do not dare to give evidence against the accused on account of fear. The miscarrige of justice is inevitable, if in each and every case the testimonies of the witnesses, who are closely related with the deceased, are required to be corroborated by the independent evidence."***

प्रकरण में यह भी सुसंगत हो जाता है कि घायल साक्षी सुनील, राजेन्द्र व रामपत घटना के न केवल प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है ब्लकि घायल साक्षी भी है और इस संदर्भ में अर्थात् प्रत्यक्षदर्शी व घायल साक्षी के संदर्भ में दी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में हाल ही में दी गयी विधि व्यवस्था का वर्णन तर्कसंगत हो जाता है।

घायल प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के साक्ष्य एवं उसकी विश्वसनीयता के संदर्भ में हाल में दी गयी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के विधि व्यवस्था के अनुसार–**Balu Sudan Khalde versus State of Maharastra 2023 SCC Online SC 355.**

"When the evidence of an injured eye-witness is to be appreciated, the unde noted legal principles enunciated by the Courts are required to be kept in mind:

(a) The presence of an injured eye-witness at the time and place of the occurrence cannot be doubted unless there are material contradictions in his deposition.

(b) Unless, it is otherwise established by the evidence, it must be believed that an injured witness would not allow the real culprits to escape and falsely implicate the accused.

(c) The evidence of injured witness has greater evidentiary value and unless compelling reasons exist, their statements are not to be discarded lightly.

(d) The evidence of injured witness cannot be doubted on account of some embellishment in natural conduct or minor contradictions.

(e) If there be any exaggeration or immaterial embellishments in the evidence of an injured witness, then such contradiction, exaggeration or embellishment should be discarded from the evidence of injured, but not the whole evidence.

(f) The broad substratum of the prosecution version must be taken into consideration and discrepancies which normally creep due to loss of memory with passage of time should be discarded."

इस स्तर पर यह भी समीचीन होगा कि आपराधिक विधि के सिद्धांत यद्यपि अभियोजन पर यह दायित्व डालते है कि वह अपने कथानक को युक्तियुक्त संदेह से परे सिद्ध करे, परन्तु अभियोजन से भी असम्भव को सिद्ध करने की परिकल्पना नही की जाती है और यदि अभियोजन कथानक सामान्य प्रज्ञा से युक्तियुक्त संदेह से परे सिद्ध हो रहा हो तो उसे प्राथमिकता दी जायेगी। नीचे वर्णित विधि व्यवस्था के अनुसार–

<u>State of Punjab vs Karnail singh (2003) 11 SCC 271-</u> "The law does not enjoin a duty on the prosecution to lead evidence of such character which is almost impossible to lead or at any rate extremly to be led . The duty on the

prosecution is to lead such evidence which it is capable of leading regards to the facts and circumstances of the case."

34. आपराधिक विधि के अनुसार किसी भी घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी उस घटना का सर्वोत्तम साक्षी होता है और यदि वह साक्षी घटना में घायल भी तो उसके साक्ष्य का महत्व और बढ़ जाता है। प्रस्तुत प्रकरण में घटना के सभी प्रत्यक्षदर्शी घायल साक्षीगण द्वारा न केवल घटनास्थल पर अभियुक्तगण की उपस्थिति को सिद्ध किया गया है ब्लकि उनके द्वारा किये गये आपराधिक कृत्य(मार–पीट व कट्टे से साक्षीगण पर फायर करना) को भी भली–भाँति सिद्ध किया गया है। इस स्तर पर न्यायालय वादी मुकदमा द्वारा दी गयी विधि व्यवस्थाओं से पूर्णतया सहमत है।

State of U.P. vs Hari Chand 2009 AIR SCW 3605,

"It is trite that where the eye-witnesses' account is found credible and trustworthy, medical opinion pointing to alternative possibilities is not accepted as conclusive. Witnesses, as Benthanm said, are the eyes and ears of justice. Hence the importance and primacy of the quality of the trial process. Eye-witnesses' account would require a careful independent assessment and evaluation for their credibility which should not be adversely prejudged making any other evidence, including medical evidence, as the sole touchstone for the test of such credibility."

35. बचाव पक्ष की ओर से यह कथन किया गया है कि इस आपराधिक सत्र परीक्षण में विवेचना के क्रम में अभियुक्तगण के पास से किसी भी प्रकार की न तो कोई बरामदगी हुयी और न ही किसी प्रकार की कोई फर्द अभियोजन द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी। धारा 307 भा०दं०सं० जैसे गंभीर मामले के प्रकरण में किसी प्रकार की कोई बरामदगी व फर्द का अभाव स्वतः ही अभियोजन कथानक को संदेहास्पद बना देता है जिसका लाभ अभियुक्तगण को प्रत्येक दशा में दिया जाना चाहिए क्योंकि अभियोजन द्वारा फर्द के अभाव को न्यायालय के समक्ष सिद्ध नही किया गया है।

36. न्यायालय बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के इस तर्क से सहमत नही है क्योंकि न्यायालय के समक्ष उपस्थित साक्षी संख्या 7 घनश्याम यादव जिनके द्वारा प्रदर्श क 3 आरोप पत्र को न्यायालय के समक्ष सिद्ध किया गया है और जो घटना के समय बतौर उ०नि० थाना

सिधारी जनपद आजमगढ़ में कार्यरत थे, के द्वारा अपने बयान व जिरह में स्पष्ट रूप से यह अंकित किया है कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में अभियुक्तगण दवारा दाखिल रिट संख्या 24606/2017 में पारित आदेश के क्रम में अभियुक्तगण की गिरफ्तारी पर स्थगन आदेश प्राप्त था तथा विवेचना के क्रम में अभियुक्तगण को गिरफ्तार नही किया गया। गिरफ्तारी के अभाव में किसी भी प्रकार के हथियार जैसे कि लाठी–डंडा व अवैध असलहा न तो बरामदगी की गयी और न ही इस संदर्भ में किसी प्रकार की कोई फर्द बरामद की गयी। इस बयान/कथन से बचाव पक्ष का तर्क बलहीन हो जाता है कि फर्द/बरामदगी की अभाव में अभियोजन कथानक संदेहास्पद है। इस साक्षी की जिरह से यह भी स्पष्ट है कि यद्पि विवेचना के क्रम में इस साक्षी ने छुटपुट गलतियां की है जैसे कि इस बात की जानकारी करने का प्रयास नही किया गया कि जिस जमीन को लेकर झगड़ा हो रहा था वास्तव में उस जमीन का स्वामी कौन है, किन्तु मात्र इस छुटपुट विसंगति के आधार पर इस साक्षी द्वारा की गयी कार्यवाही को गलत नही कहा जा सकता तथा विवेचना के क्रम में की गयी विसंगतियों का लाभ भी बचाव पक्ष को नही दिया जा सकता यदि उन विसंगतियों के बाद भी अभियोजन कथानक युक्तियुक्त संदेह से परे न्यायालय के समक्ष सिद्ध हो रहा हो।

37. आपराधिक विधि के अनुसार अभियोजन को प्रत्येक दशा में अपने कथानक को युक्तियुक्त संदेह से परे सिद्ध करना होता है। प्रस्तुत प्रकरण में भी अभियोजन द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध अपने कथानक को भली–भाँति सिद्ध किया है और इस कारण अभियुक्तगण दोषसिद्ध किये जाने योग्य है।

38. अभियुक्तगण विमलेश, कमलेश व कैलाश यादव को मु०अ०सं०–328/2017 अंतर्गत धारा 307/34, 323/34, 504 भा०दं०सं०, थाना सिधारी, जनपद आजमगढ़ में लगे आरोप में दोषसिद्ध किया जाता है।

39. अभियुक्तगण के जमानतदारों को उनके दायित्व से उन्मोचित करते हुए अभियुक्तगण की जमानते निरस्त की जाती है। अभियुक्त कमलेश एक अन्य मामले में जेल में निरूद्ध है व न्यायालय में उपस्थित है। अभियुक्त विमलेश भी न्यायालय में उपस्थित है। अभियुक्त कैलाश न्यायालय में उपस्थित नही है। अभियुक्त कैलाश यादव के विरूद्ध गैर जमानतीय वारण्ट जारी किया जाये। अभियुक्तगण का 346 BNSS का वारण्ट बनाकर कारागार भेजा जाये।

40. दण्ड के प्रश्न पर सुनवाई हेतु पत्रावली पुनः 04.08.2026 को पेश हो।अभियुक्तगण न्यायिक अभिरक्षा में पुनः 04.08.2026 को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हो।

दिनांक–31.07.2026 **(अजय श्रीवास्तव)**

अपर सत्र न्यायाधीश
कोर्ट नं०–3, आजमगढ़
J.O.Code U P 2403

दिनांक– 04.08.2026

पत्रावली प्रस्तुत हुई। दोषसिद्धगण विमलेश व कमलेश जेल से उपस्थित। पूर्व की तिथि पर अभियुक्त कैलाश की अनुपस्थिति के कारण उसके विरूद्ध गैर–जमानतीय वारण्ट जारी किया गया था जिसके क्रम में अभियुक्त कैलाश द्वारा आज न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण किया गया है। अभियुक्त कैलाश को अभिरक्षा में लेकर पूर्व के आदेश के क्रम में पक्षकारों को दण्ड के बिंदु पर सुना गया।

दोषसिद्धगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया है कि किसी भी दोषसिद्धगण की इस प्रकरण से पूर्व किसी भी मामले में दोषसिद्धी नही हुई है। दोषसिद्धगण को पुरानी चुनावी रंजिश के कारण इस प्रकरण में मिथ्या फंसा दिया गया है और इस कारण विद्वान अधिवक्ता द्वारा न्यायालय से याचना की गयी कि दोषसिद्धगण पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर कम से कम सजा प्रदान दी जाये।

इसके विपरीत विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता और वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया है कि सभी दोषसिद्धगण का पुराना आपराधिक इतिहास है। हाल में ही छेडछाड़/बलात्कार जैसे गम्भीर आरोप के मामले में दोषसिद्ध कमलेश गिरफ्तार होकर जेल चला गया है और वर्तमान में वह इस प्रकरण के अलावा उक्त छेड–छाड़ के मामले में भी कारागार में निरूद्ध है।

विद्वान ए०डी०जी०सी० द्वारा जोर देकर यह भी कहा गया कि दिनांक 31.07.2026 को दोष सिद्ध होने पर दोषसिद्ध कैलाश न्यायालय के समक्ष हाजिर नही हुआ। इस कारण न्यायालय उसके विरुद्ध गैर–जमानतीय वारण्ट जारी किया गया था। अतः

इन सब बातों तथा दोषसिद्धगण के आचरणों को ध्यान में रखकर न्यायालय दोषसिद्धगण को अधिक से अधिक सजा दें।

पक्षकारों को सुना गया एवं दण्ड के प्रश्न पर आयी विधि व्यवस्थाओं का परिशीलन किया गया।

माननीय उच्चतम न्यायालय **Dhananjoy chaterjee vs State of W.B 1994 (2) S.C.C 220** में निम्नलिखित मत प्रतिपादित किया गया है कि---

"The measure of punishment in a given case must be depend upon the atrocity of the crime; the conduct of criminal and the defenseless and unpropriate punishment is the manner in which the courts respond to the society's cry for justice against the criminals. Justice demands that court should impose punishment befitting the crime, so that the courts reflect public abhorrence of the crime. The Court must not only keep the view of the criminals but also the rights of the victim of crime and the society at large while considering imposition of appropriate punishment."

ऊपरवर्णित सिद्धांतों के उपरांत इस प्रकरण में पत्रावली के क्रम में दोषसिद्धगण पर भा०दं०सं० की धारा 307 में सात वर्ष तथा धारा 323 एवं धारा 504 भा०दं०सं० में एक वर्ष के कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया जाना उचित होगा।

दण्डादेश

दोषसिद्धगण विमलेश, कमलेश व कैलाश यादव को सत्र परीक्षण संख्या–223/2018, मु०अ०सं०–328/2017, धारा 307/34, 323/34, 504 भा०दं०सं०, थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ में आरोप में प्रत्येक अभियुक्त को अंतर्गत धारा 307/34 में सात वर्ष के कठोर कारावास तथा दस हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर तीन माह का अतिरिक्त सामान्य कारावास भुगतना होगा।

दोषसिद्धगण विमलेश, कमलेश व कैलाश यादव को अंतर्गत धारा 323/34 में एक वर्ष के कठोर कारावास तथा एक हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर एक माह का अतिरिक्त सामान्य कारावास भुगतना होगा।

दोषसिद्धगण विमलेश, कमलेश व कैलाश यादव को अंतर्गत धारा 504 में एक वर्ष के कठोर कारावास तथा एक हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर एक माह का अतिरिक्त सामान्य कारावास भुगतना होगा।

अभियुक्तगण पर लगी सभी सजाएं साथ–साथ चलेंगी।

इस प्रकरण में पूर्व में जेल में बितायी गयी अवधी सजा में समायोजित की जाएगी।

नियमानुसार दोषसिद्धगण का सजायावी वारण्ट बनाकर उन्हें कारागार में प्रेषित किया जाये एवं दोषसिद्धगण को द०प्र०सं० के प्रावधानों के अनुरूप आदेश की एक प्रति निःशुल्क प्रदान की जाये।

दिनांक–04.08.2026

(अजय श्रीवास्तव)
अपर सत्र न्यायाधीश
कोर्ट नं०–3, आजमगढ़
J.O.Code U P 2403

निर्णय आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनाँकित कर उदघोषित किया गया।

दिनांक–04.08.2026

(अजय श्रीवास्तव)
अपर सत्र न्यायाधीश
कोर्ट नं०–3, आजमगढ़
J.O.Code U P 2403

Anushka
(Steno)